जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक/एफ/प्रशा./स्था./2024/ 8019

दिनांक : 04/03/2024

// कार्यालयीन आदेश //

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में रैगिग रोकने हेतु वर्तमान उपायों के साथ व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्राचार्य/चीफ वार्डन/वार्डन निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. सीनियर एवं जूनियर छात्रों का सम्मिलित ओरियेटेशन प्रोग्राम आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे संस्थान प्रमुख/विभागाध्यक्ष एवं एन्टी रैगिंग कमेटी के द्वारा संबोधित किया जावेगा।
2. सीनियर एवं जूनियर छात्रों के बीच समन्वय एवं मित्रता स्थापित करने, शिक्षक की उपस्थिति में समय-समय पर विभागाध्यक्ष द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल गतिविधियां आयोजित किये जाना सुनिश्चित करें एवं उसका पालन प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष द्वारा रैगिग रोधी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जावे।
3. छात्रावास वार्डन द्वारा सीनियर एवं जूनियर छात्रों के मित्रवत रहने हेतु समय-समय पर साथ में भोजन करना एवं उन्हे संबोधित करना सुनिश्चित करे, जिससे फ्रेशर एवं अन्य जूनियर छात्र/छात्रा का आत्मविश्वास एवं उनमे मेल-जोल बना रहे।
4. फ्रेशर छात्र/छात्रों की समस्याओं का निदान करनें, उनसे सतत् सम्पर्क रखने एवं उन्हे पारिवारिक माहौल देने, विभागाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक फ्रेशर बैच के छोटे-छोटे समूह बना कर प्रत्येक समूह का प्रभारी विभाग के 01 शिक्षक को बनाया जाना सुनिश्चित करेगे, जिसमें प्रत्येक समूह प्रभारी एक डायरी संधारित करेंगे कि, समूह के किस छात्र/छात्रा द्वारा प्रभारी से कब संपर्क किया गया एवं समूह प्रभारी द्वारा समूह से कब संपर्क किया गया एवं किस छात्र/छात्रा द्वारा प्रभारी को किस समस्या से अवगत कराया गया। जिसकी रिपोर्ट समस्त प्रभारी विभागाध्यक्ष के माध्यम से रैगिग रोधी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी को प्रेषित किये जावे उक्त रिपोर्ट प्रतिमाह के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. हॉस्टल में रैगिंग रोकने वर्षभर निगरानी की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है, जिसके अंतर्गत प्रवेश एवं निकास पंजी का नियमित रुप से संधारित किया जावे एवं हॉस्टल वार्डन उक्त पंजी प्रतिमाह के अंतिम सप्ताह में रैगिग निरोधी प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी के अवलोकन हेतु प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस आदेश के जारी होने के 07 दिवस के अंदर विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य /समन्वयक अपनी-अपनी अध्ययनशालाओं में छात्रों, पालकों एवं समस्त शिक्षकों के साथ विचार विमर्श बैठक आयोजित किया जाना एवं जिसकी रिपोर्ट नोडल अधिकारी, रैगिग निरोधी प्रकोष्ठ को भेजना सुनिश्चित करेगे।

7. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/समन्वयक अपनी–अपनी अध्ययनशालाओं के छात्रों के पालकों को तत्काल सूचित करेगे कि उनके संज्ञान में आने वाली रैगिंग की घटना को तत्काल जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलानुशासक एवं नोडल अधिकारी, रैगिग निरोध प्रकोष्ठ/एंटी रैगिंग कमेटी के किसी भी सदस्य/विभागाध्यक्ष/ चीफ हॉस्टल वार्डन/हॉस्टल वार्डन को अवगत कराए जिससे एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर पीड़ित छात्र/छात्रा ओ त्वरित न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी/समन्वयक/निदेशक जी0वि0वि0, ग्वालियर।
2. समस्त चीफ वार्डन/वार्डन छात्रावास, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. नोडल अधिकारी रैगिग निरोध प्रकोष्ठ/कुलानुशासक, जी0वि0 वि0, ग्वालियर।
4. प्रोक्टोरियल बोर्ड, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. उप/सहा.–कुलसचिव0प्रशा/लेखा/परीक्षा/गोपनीय/अकादमी/विकास/स्टोरजी0वि0वि0, ग्वालियर।
7. कुलसचिव के निजी सहायक, जी0वि0वि0, ग्वालियर।

सहा. कुलसचिव (प्रशा.)